भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3134
दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन

†3134. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या की तुलना में उपचारित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) पंजाब राज्य में उन निजी अस्पतालों का जिलावार ब्यौरा क्या है जहां आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है;
(ग) क्या सरकार द्वारा इस योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन रिपोर्ट प्रायोजित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) आयुष्मान भारत के सफल कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन मुद्दों को हल करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के योगदान के ब्यौरे सहित इसका अनुपात और योगदान की गई वास्तविक राशि क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): पंजाब राज्य में, कुल 45 लाख लाभार्थी परिवार यानी 1.97 करोड़ व्यक्ति आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कवर किए गए हैं। विगत पिछले पाँच वर्षों में, पंजाब राज्य में इस योजना के अंतर्गत 2,490.35 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कुल 19.87 लाख अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है।

(ख): पंजाब राज्य में एबी-पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों का जिलावार विवरण निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:

https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/empnlWorkFlow.htm?actionFlag=ViewRegisteredHosptlsNew

(ग): भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मेघालय, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में एबी-पीएमजेएवाई के प्रभाव को समझने के लिए एक आधारभूत अध्ययन कराया गया था, जिसमें 72,636 व्यक्तियों के नमूने को शामिल किया गया था।

इस अध्ययन में पाया गया कि एबी-पीएमजेएवाई, अपने शुरुआती कार्यान्वयन काल से ही, स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने और अत्यधिक विशिष्ट परिचर्या की आवश्यकता वाले लाभार्थियों के बीच जेब से होने वाले व्यय (ओओपीई) को कम करने में सहायक रहा है। इस अध्ययन के गुणात्मक विश्लेषण से यह भी पता चला कि लाभार्थी एबी-पीएमजेएवाई के तहत प्राप्त चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने संबंधी कार्यनीतियों की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को समय पर विशेष देखभाल मिले, लाभार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए समर्पित कर्मचारियों जैसे अन्य सेटिंग्स के अनुभवों को दोहराना, लाभार्थियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए संचार और फीडबैक चैनल स्थापित करना।

(घ): उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. <u>लाभार्थी आधार का विस्तार</u>

   उक्त योजना का लाभार्थी आधार लगातार बढ़ाया जा रहा है और जनवरी, 2022 में 10.74 करोड़ एसईसीसी/आरएसबीवाई परिवारों से बढ़कर 12 करोड़ गरीब और कमज़ोर परिवारों तक पहुँच गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों में से लाभार्थियों के सत्यापन के लिए अन्य डाटाबेस का उपयोग करने की सुविधा दी गई है, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका है। फरवरी, 2024 में 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मी)/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडबल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल करके लाभार्थी आधार का और विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों (लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के अनुरूप) को अक्टूबर 2024 में इस योजना के दायरे में लाया गया है।

2. <u>आईटी प्रणाली में सुधार</u>

   i. लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस 2.0) स्व/सहायता प्राप्त सत्यापन की अनुमति देती है और अनावश्यक बिचौलियों को समाप्त करती है।
   ii. लाभार्थी सत्यापन और कार्ड निर्माण को फेस-ऑथेंटिकेशन तकनीक से लैस 'आयुष्मान' मोबाइल एप्लिकेशन पर सक्षम किया गया है।
   iii. अंतरंग रोगी पंजीकरण, प्राधिकरण पूर्व, प्रवेश, प्रारंभिक निदान, अनुवर्ती कार्रवाई, दावा प्रबंधन और भुगतान में सुधार के लिए अंतरण प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस 2.0) शुरू की गई है।

iv. उपयोगकर्ता प्रबंधन पोर्टल (यूएमपी) का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एकल साइन-ऑन सुविधा के साथ एकल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से विभिन्न पीएमजेएवाई एप्लिकेशन तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करना है।

v. प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करने, रिपोर्ट तैयार करने, रुझानों की पहचान करने और शिकायत और धोखाधड़ी विश्लेषण के लिए डाटा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक समाधान करना।

3. जागरूकता सृजन

लाखों लोगों को जोड़ने के लिए "आपके द्वार आयुष्मान" जैसे अभियान चलाए गए हैं। लाभार्थियों को सशक्त बनाने के प्रयासों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भागीदारी, आयुष्मान मित्र जैसी पहल और लाभार्थियों को सूचित करने और उन्हें जोड़ने के लिए अधिकार और अभिनंदन पत्र जारी करना शामिल है। जागरूकता अभियान सूचना प्रसारित करने के लिए विविध मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हैं।

(ङ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और योजना की मौजूदा नीति के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत को साझा किया जाता है। पंजाब राज्य में केंद्र शेयर का राज्य शेयर से अनुपात 60:40 है। सहायता अनुदान में केंद्र सरकार का शेयर योजना के लाभार्थी परिवारों के इलाज की वास्तविक लागत या भारत सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा राशि (वर्तमान में प्रति परिवार प्रति वर्ष 1052 रुपये) जो भी कम हो, के लिए उपरोक्त साझाकरण पद्धति अनुपात पर आधारित है। वर्तमान में, अधिकतम सीमा राशि से अधिक कोई भी अतिरिक्त व्यय वर्तमान लागू दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

एबी-पीएमजेएवाई की वित्त पोषण पूरी तरह से मांग आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर निधियां जारी की जाती है। निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटन नहीं है। परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक नई निधि जारी करने से पूर्व राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पहले प्राप्त निधियों का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पंजाब राज्य में, एबी-पीएमजेएवाई को राज्य की अपनी स्वास्थ्य आश्वासन योजना के साथ मिलकर लागू किया गया है। कुल पात्र परिवारों की कुल संख्या 45 लाख है। इनमें से 16.65 लाख परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा सहायता दी जाती है। शेष परिवारों को राज्य योजना के तहत सहायता दी जाती है और इन परिवारों के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विगत तीन वर्षों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के तहत पंजाब राज्य को जारी की गई निधियों के केंद्रीय शेयर का विवरण **अनुलग्नक** में है।

अनुलग्नक

उक्त योजना की शुरुआत से अब तक एबी-पीएमजेएवाई के तहत पंजाब राज्य को जारी की गई निधियों के केंद्रीय शेयर का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	**एबी-पीएमजेएवाई परिवारों के लिए जारी की गई निधियों का केंद्रीय शेयर**
2021-22	80.50
2022-23	111.38
2023-24	57.96

*****